



2026:AHC:37648-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-465/2026

राजीव सिंह और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: राहुल चौधरी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. आज दायर अनुपूरक शपथपत्र को अभिलेख में लिया गया है।
2. यद्यपि वर्तमान रिट याचिका को परमादेश के लिए प्रार्थना के साथ प्राथमिकता दी गई है, जिसमें प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता संख्या के पक्ष में संदीप कुमार की सेवा बकाया राशि जारी करने और वितरित करने का आदेश दिया गया है, पंजीकरण के आलोक में 1 और 2 दिनांक 08.09.2025 को दिवंगत संदीप कुमार सिंह द्वारा निष्पादित विलेख होंगे लेकिन रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पक्षकारों ने समझौता कर लिया है, अब कोई विवाद लंबित नहीं है, तदनुसार, रिट याचिका को निष्फल मानकर निस्तारित किया जाता है।
3. इस स्तर पर, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिनिधित्व प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लंबित है।
4. न्यायालय की राय में, रिट याचिकाकर्ता के लिए उनके बीच हुए समझौते के आधार पर यह सर्वदा खुला रहता है, हालांकि वे प्रतिनिधित्व के निपटान पर जोर देते हैं जो विधि के अंतर्गत बनाए रखने योग्य है और यदि इस तरह के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी जाती है, तो प्रतिनिधि संख्या 2, एसपी.(कार्मिक), पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा कानून के अनुसार सख्ती से निर्णय लिया जाएगा।
5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका को निष्फल मानकर **निस्तारित** कर दिया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

राजेश

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”